

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

राजकरण आदि

रही आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 196/2019

निर्णय दिनांक :- 06-10-2021

वादी की ओर से वकील की व प्रतिवादी सं० 293 की ओर से वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रही मोना विद्यानपुरा के खाता सं० 150/144 के खासा सं० 220 की 267 हेक्टर वाली खातेधारी रूप में राजकरण, मुनीलाल, संतराम वल्य चन्द के नाम से दफ्तरे उक्त राजस्व रिमांड में राजकरण, मुनीलाल, संतराम वल्य चन्द के स्थान पर कमला राजकरण, मनीराम, संतराल वल्य चन्द को घोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिमांड में अमल-दरमय किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्वा डिक्री आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
दिनांक 06-10-2021
21651